



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ७]

बुधवार, मार्च ४, २०२०/फाल्गुन १४, शके १९४१

[पृष्ठे २६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XVI OF 2020.

A BILL

TO PROVIDE FOR THE AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEYS OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNTS SPENT ON CERTAIN SERVICES AND PURPOSES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2015. IN EXCESS OF THE AMOUNTS GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०२०।

राज्य की समेकित निधि में से २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं और प्रयोजनों पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों में से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्धार्थ विधेयक।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं और प्रयोजनों पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है; इसलिए, भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०२० कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

(१)

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिये कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए ३४ अरब, ७३ करोड़, ४१ लाख, १० हजार रुपये देना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकम जो उसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों जो कुल मिलाकर चौत्तीस अरब, तिहत्तर करोड़, इकतालीस लाख, दस हजार रुपयों के बराबर होगी। २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वित्तीय वर्ष के लिए, उन सेवाओं और प्रयोजनार्थ अनुदत्त रकमों से अधिक अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के बारे में, विविध प्रभार को पूरा करने के लिए व्ययित रकम की पूर्ति के लिए अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि और उसमें से अदा की जाने और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये इकतीस मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, विनियोग किया गया समझा जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक	कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	रकमों जो निम्न से अधिक नहीं होंगी
(१)	(२)	(३)	(४)
क-राजस्व लेखे पर व्यय			
राजस्व तथा वन विभाग			
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास	३,१६,९१,०००
		२२१७, नगरविकास।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	
कुल—राजस्व तथा वन विभाग।			३,१६,९१,०००
योजना विभाग			
ओ-१५	जिला योजना-मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	२,४१,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१६, आवास।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२४०५, मत्स्योद्योग।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	
		३०५६, अन्तर्देशी जल परिवहन।	
		३४३५, परिस्थिति तथा पर्यावरण।	
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५२, पर्यटन।	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्रामनियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । ३०५१, पत्तन तथा दिपगृह । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५६, अन्तर्देशी जल परिवहन । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	...	३,११,७६,०००
ओ-१७	जिला योजना - मुंबई उपनगर ।		...	३,११,७६,०००

२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	
२२०२, सामान्य शिक्षा।	
२२०३, तकनीकी शिक्षा।	
२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।	
२२०५, कला तथा संस्कृति।	
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
२२१७, नगर विकास।	
२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
२२३६, पोषण।	
२४०१, कृषि कर्म।	
२४०३, पशुपालन।	
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	
२४०५, मत्स्योद्योग।	
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
२४२५, सहकारिता।	
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
२७०२, लघु सिंचाई।	
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	
३०५४, सड़क तथा पुल।	
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
३४५२, पर्यटन।	
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।	

ओ-२० जिला योजना - रायगड।

.. ७,००,०७,०००

...

७,००,०७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	रुपये	रुपये
ओ-२१	जिला योजना - रायगड।		.. २४,६८,६२,०००	... २४,६८,६२,०००

ओ-२५ जिला योजना - सिंधुदुर्ग।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का
 कल्याण।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन।
 २२३६, पोषण।
 २४०१, कृषि कर्म।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्योद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २५०५, ग्राम नियोजन।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

.. ५,२२,५२,०००

...

५,२२,५२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन ।		
ओ-२९	जिला योजना - सातारा ।		६,०१,४०,०००	६,०१,४०,०००

ओ-३० जिला योजना - सांगली।

- २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२११, परिवार कल्याण।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१६, आवास।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०१, कृषि कर्म।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, पशुपालन।
 २४०५, मत्स्योद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकरिता।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
 २५०५, ग्राम नियोजन।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

.. १४,००,८०,०००

...

१४,००,८०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्रामनियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।	२,३४,०८,०००	२,३४,०८,०००
ओ-३१	जिला योजना - सांगली।		...	

२०५९, लोकनिर्माण कार्य।		
२२०२, सामान्य शिक्षा।		
२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
२२०५, कला तथा संस्कृति।		
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
२२११, परिवार कल्याण।		
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
२२१७, नगरविकास।		
२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
२२३६, पोषण।		
२४०१, कृषि कर्म।		
२४०३, पशुपालन।		
२४०५, मत्स्योद्योग।		
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
२४२५, सहकारिता।		
२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
२५०५, ग्रामनियोजन।		
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
२७०२, लघु सिंचाई।		
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
३०५४, सड़क तथा पुल।		
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
३४५२, पर्यटन।		
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।		

ओ-३३ जिला योजना - सोलापूर।

.. ५,९९,६३,०००

...

५,९९,६३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना - कोल्हापुर ।		२,१६,४७,०००	२,१६,४७,०००

- २०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
 २२०२, सामान्य शिक्षा ।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा ।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति ।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।
 २२१७, नगर विकास ।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार ।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन ।
 २२३६, पोषण ।
 २४०१, कृषि कर्म ।
 २४०३, पशुपालन ।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।
 २४०५, मत्स्योद्योग ।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।
 २४२५, सहकारिता ।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
 २५०५, ग्रामनियोजन ।
 २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।
 २७०२, लघु सिंचाई ।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।
 ३०५४, सड़क तथा पुल ।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
 ३४५२, पर्यटन ।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वयन ।

ओ-३६ जिला योजना - नासिक ।

.. २,०४,५०,०००

...

२,०४,५०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।	रुपये	रुपये
ओ-३७	जिला योजना - नासिक ।		३६,९७,०००	३६,९७,०००

२२०२, सामान्य शिक्षा ।	
२२०३, तकनीकी शिक्षा ।	
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।	
२२०५, कला तथा संस्कृति ।	
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	
२२११, परिवार कल्याण ।	
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	
२२१७, नगर विकास ।	
२२२०, सूचना तथा प्रचार ।	
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	
२२३०, श्रम तथा नियोजन ।	
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	
२२३६, पोषण ।	
२४०१, कृषि कर्म ।	
२४०३, पशुपालन ।	
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	
२४०५, मत्स्योद्योग ।	
२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	
२४२५, सहकारिता ।	
२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	
२५०५, ग्राम नियोजन ।	
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।	
२७०२, लघु सिंचाई ।	
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।	
३०५४, सड़क तथा पुल ।	
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।	
३४५२, पर्यटन ।	
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।	

ओ-३८ जिला योजना - धुलीया ।

८,८३,८६,०००

...

८,८३,८६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।	रुपये	रुपये
ओ-४०	जिला योजना - जलगाँव ।		२,०९,२२,०००	२,०९,२२,०००

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।	
२२०२, सामान्य शिक्षा ।	
२२०३, तकनीकी शिक्षा ।	
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।	
२२०५, कला तथा संस्कृति ।	
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	
२२११, परिवार कल्याण ।	
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।	
२२१७, नगरविकास ।	
२२२०, सूचना तथा प्रचार ।	
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	
२२३०, श्रम तथा नियोजन ।	
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	
२२३६, पोषण ।	
२४०१, कृषि कर्म ।	
२४०३, पशुपालन ।	
२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	
२४०५, मत्स्योद्योग ।	
२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	
२४२५, सहकारिता ।	
२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	
२५०५, ग्रामनियोजन ।	
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।	
२७०२, लघु सिंचाई ।	
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।	
३०५४, सड़क तथा पुल ।	
३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	
३४५२, पर्यटन ।	
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।	

ओ-४१ जिला योजना - जलगाँव ।

५,८६,६१,०००

...

५,८६,६१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।	१८,८१,०००	१८,८१,०००
ओ-४३	जिला योजना - अहमदनगर।		...	१८,८१,०००

- २२०२, सामान्य शिक्षा ।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा ।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति ।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।
 २२१७, नगर विकास ।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार ।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
 २२३६, पोषण ।
 २४०१, कृषि कर्म ।
 २४०३, पशुपालन ।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।
 २४०५, मत्स्योद्योग ।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।
 २४२५, सहकारिता ।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
 २५०५, ग्राम नियोजन ।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
 २७०२, लघु सिंचाई ।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।
 ३०५४, सड़क तथा पुल ।
 ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।
 ३४५२, पर्यटन ।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय ।

ओ-४५ जिला योजना - नुदुरबार ।

.. ११,७७,८६,००० ११,७७,८६,०००

कुल—योजना विभाग . १,०१,७५,५९,०००

१,०१,७५,५९,०००

कुल—क-राजस्व लेखे

पर व्यय . . १,०४,९२,५०,०००

१,०४,९२,५०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय				
वित्त विभाग				
जी-९	लोकव्यय तथा अन्तर राज्य समझौता।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।		
		६००४, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम।	३३,२२,८६,०००	३३,२२,८६,०००
		७८१०, आंतरराज्य समझौता।		
		कुल—वित्त विभाग।	३३,२२,८६,०००	३३,२२,८६,०००
जलस्रोत विभाग				
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६,६६,६४,०००	६,६६,६४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	६,६६,६४,०००	६,६६,६४,०००
योजना विभाग				
ओ-१८	जिला योजना-थाने।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्यधोग पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों पर पूँजीगत व्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज		
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।		
		कुल—योजना विभाग।	३६,२२,०००	३६,२२,०००

ओ-२३ जिला योजना-रत्नागिरी ।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय ।	
४४०५, मत्स्यद्वोग पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।	
६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।	
६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	

३,५७,४५,०००

....

.. ३,५७,४५,०००

ओ-२७ जिला योजना-पुणे ।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०५, मत्स्यद्वोग पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।	
६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।	
६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	

८,९६,०९,०००

....

.. ८,९६,०९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
ओ-२८	जिला योजना-सातारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।		११,१८,०७,०००	११,१८,०७,०००
ओ-३४	जिला योजना-कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।		२५,१९,०००	२५,१९,०००

ओ-४२ जिला योजना-अहमदनगर ।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत व्यय ।
 ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।
 ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।
 ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।

.. ७,९९,१८,०००

....

७,९९,१८,०००

ओ-४४ जिला योजना-नंदुरबार ।

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत व्यय ।
 ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।
 ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।
 ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।
 ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।

.. ४,००,०००

....

४,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना-औरंगाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय। ४४०५, मत्स्यधोग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत व्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।		२,९२,५५,०००	२,९२,५५,०००
ओ-४७	जिला योजना-औरंगाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय। ४४०५, मत्स्यधोग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत व्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		३,०९,४०,०००	३,०९,४०,०००

ओ-४८ जिला योजना-जालना।

{ ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
४२५९, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत व्यय।
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत व्यय।
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।
६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।
६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।

.. ५७,७५,००० ५७,७५,०००

कुल—योजना विभाग।	३८,९५,९०,०००	..	३८,९५,९०,०००
कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।	३८,९५,९०,०००	३३,२९,५२,७०,०००	३३,६८,४८,६०,०००
कुल योग।	१,४३,८८,४०,०००	३३,२९,५२,७०,०००	३४,७३,४१,१०,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, कतिपय सेवाओं और प्रयोजनों पर वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान उपगत अधिक व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	१,०४,९२,५०,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. .	३३,६८,४८,६०,०००
कुल	. .	३४,७३,४१,१०,०००

मुंबई,
दिनांकित ४ मार्च, २०२०।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।